# झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022

## [सभा द्वारा यथापारित]

### विषय सूची


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 के संबंध में।

**झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022**

**[सभा द्वारा यथापारित]**

झारखण्ड के स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सेवा और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक;

**जबकि** माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में स्थानीय निवासी नीति को दो जनहित याचिकाओं WP(PIL) No.-4050/2002 तथा 3912/2002, के द्वारा दी गई चुनौती पर झारखण्ड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली झारखण्ड उच्च न्यायालय की विशेष पीठ में पांच न्यायाधीशों के द्वारा विचार किया गया था, जिसमें दिनांक 27.11.2002 के अपने फैसले में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा को निरस्त करते हुए स्थानीय व्यक्तियों और राज्य के प्रासंगिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा के निर्धारण के लिए नए सिरे से निर्णय लेने/पुनर्परिभाषित करने और दिशा–निर्देश निर्धारित करने के निर्देश दिए गए;

**जबकि** स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा तय करने और उसकी पहचान करने के लिए, विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विचार–विमर्श और विस्तृत चर्चा के उपरान्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 द्वारा "स्थानीय निवासी" को परिभाषित करने के लिए एक दिशानिर्देश निर्गत किया गया;

**जबकि** झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने विभिन्न प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 में परिभाषित स्थानीय व्यक्तियों के मानदंडों को वापस लेने के लिए इस मुद्दे को उठाये जाते रहे हैं तथा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषित करने और उनकी पहचान करने की मांग उठाई गई है और ऐसी मांग विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी हो रही है और मामला सरकार के समक्ष लंबित है क्योंकि इस मुद्दे को अंतिम रूप नहीं मिला है;

उपरोक्त संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा के लिए आने वाला प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित है कि 1932 से पूर्व और 1932 के पश्चात दूसरे राज्यों से लोगों के आव्रजन के परिप्रेक्ष्य में मूल निवासियों/अधिवासियों/मूलवासियों के सामाजिक विकास, रहन–सहन, रीति–रिवाज और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है;

इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि झारखण्ड में 1941 की जनगणना के बाद से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी गई है;

गिरावट विभिन्न कारणों से है लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति/मूल निवासियों/मूलवासियों के उत्थान और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति स्तर पर कुछ सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

**जबकि** झारखण्ड मुख्य रूप से एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासी की जनसंख्या 30% से अधिक है और अधिकांश क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित है;

**जबकि** मूलवासियों/आदिवासियों/अधिवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सेवा और अन्य लाभ प्रदान करना आवश्यक माना गया है और मूलवासियों/आदिवासियों/अधिवासियों को उनकी भूमि पर कुछ अधिकार और लाभ प्रदान करने, नदियों/झीलों/मत्स्य पालन के स्थानीय विकास में उनकी हिस्सेदारी, उनके स्थानीय पारंपरिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक उद्यम, कृषि ऋण पर उनके अधिकार, रखरखाव, उनके भूमि अभिलेखों की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार/बेरोजगारी और इसी तरह से संबंधित और प्रासंगिक मामले के लिए स्थानीय व्यक्तियों एवं उनकी पहचान को परिभाषित करने की अनिवार्यता महसूस की गयी है।

इस प्रकार भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–**

(1) यह अधिनियम "**झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम, 2022**" कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम भारत का संविधान की नौंवी अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रभावी होगा।

**2. परिभाषाएं**– इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) 'स्थानीय व्यक्तियों' का अर्थ झारखण्ड का अधिवास होगा जो एक भारतीय नागरिक है और झारखण्ड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है और उसके या उसके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण/खतियान में दर्ज है।

स्पष्टीकरण– (1) भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में, स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति–रिवाजों, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी।

(2) जो व्यक्ति या उसके पूर्वज 1932 या उसके पूर्व से झारखण्ड में वास करते हों परन्तु खतियान के अनुपलब्ध रहने अथवा अपठनीय होने के कारण या किसी अन्य वैध कारण से जमीन के कागजात नहीं दिखा पा रहे हों उनके मामले में ग्राम सभा को उनके स्थानीय निवासी होने की पहचान करने का अधिकार रहेगा।

**3.** इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार/बेरोजगारी के संबंध में राज्य की सभी योजनाओं और नीतियों के हकदार होंगे और उन्हें अपनी भूमि, रोजगार और/या कृषि ऋण/ऋण आदि पर विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा।

4. इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के भी हकदार होंगे जैसा कि नियम के तहत निर्धारित और विनियमित किया जा सकता है।

5. इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति राज्य में व्यापार और वाणिज्य के लिए विशेष रूप से पारंपरिक और सांस्कृतिक उपक्रमों से संबंधित स्थानीय वाणिज्यिक सांस्कृतिक उपक्रमों और स्थानीय झीलों/नदियों/मत्स्य पालन पर अधिमान्य अधिकार के भी हकदार होंगे।

6. इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति कृषि ऋण के मामले में राज्य के लाभों के हकदार होंगे जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

(क) इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार के वर्ग–3 और वर्ग–4 के पदों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. नियम बनाने की शक्तिः– (1) राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** :– (1) इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश जारी कर ऐसा उपबंध कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के तुरंत बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 30--50--8-12-2022